पत्रांक 4652 / एक्स0एल0

XL –(विविध)- 70 / 2015

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी पुलिस अधीक्षक

पटना दिनांक– 20/7/15

विषय - **विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों तथा समबद्ध अन्य कार्यालयों में काफी संख्या में पुलिसकर्मी या तो पदस्थापित है या प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है।

आकस्मिक विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर इस बल को मिनटों में तैयार कर समस्या के समाधान हेतु प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आप के अधीनस्थ सभी कार्यालयों (पुलिस केन्द्र सहित) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / कर्मियों की विवरणी तुरन्त बनाई जाय और इस रिजर्व बल की रूप में दो प्लाटून कार्य बल हमेशा आकस्मिक विधि–व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाय। ये पुलिसकर्मी प्रतिदिन पूरी वर्दी में होंगे एवं विधि–व्यवस्था की समस्या से निपटने के सभी साजो–समान यथा–बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी हेमलेट के साथ उपलब्ध रहेगें।

उपर्युक्त दोनो प्लाटून बल में से पुलिस कार्यालय में प्रतिनियुक्त / पदस्थापित कर्मियों का प्लाटून पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अथवा आपके द्वारा कर्णाकित किसी अन्य पदाधिकारी तथा पुलिस केन्द्र में कार्यरत पदस्थापित / प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्लाटून परिचारी प्रवर / परिचारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा। इस बल के उपयोग के लिए एक वाहन (टाटा–407) हमेशा आकस्मिक रूप से कर्णाकित रहेगा जिससे बल के आवागमन में थोड़ा भी बिलम्ब न हो। आकस्मिक विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर बल को 5–10 मिनट में तैयार करने की जवावदेही इसके नियंत्री पदाधिकारी पर होगी जिसका सीधा अनुश्रवण आप स्वयं करेंगे, आकस्मिक स्थिति मे सूचना मिलने के कितनी देर बाद यह रिर्जव बल घटना स्थल पर प्रस्थान किया, इसकी समीक्षा की जायेगी और अनुपालन न होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारी अनुशासनिक कार्यावाही के पात्र होगें, जिन कर्मियों को प्लाटून में शामिल किया गया है, वे कार्यालय में वर्दी में है या नही इसकी आकास्मिक जाँच आपके द्वारा की जानी चाहिए जिससे आदेश की गुणवत्ता बनी रहे।

विश्वासभाजन,

अ0 प्र0 20/7/15

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4652 / एक्स0एल0 दिनांक– 20/7/15

प्रतिलिपि–

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर पुलिस मुख्यालय, बिहार को बिहार पुलिस के पोटल पर उपलोड करने हेतु प्रेषित।

अ0 प्र0 20/7/15

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था),
बिहार, पटना।